(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या -99 नई दिल्ली, 11 मई 2011

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48,49 और 50 के द्‍वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्‍वारा मुबंई पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता के अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/57/2005-एमबीपीटी

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

यह मामला मुबंई पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता की अवधि बढ़ाने से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 28 सितंबर,2006 को अपने आदेश संख्या टीएएमपी /57/2005-एमबीपीटी के माध्यम से 31 मार्च, 2009 की वैधतावाली अवधि के साथ एमबीपीटी की दरमान को अधिसूचित किया था। दिनांक 31 मार्च 2010 के आदेश के माध्यम से पिछलीबार प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितंबर, 2010 अवधि तक बढ़ाई गई थी ।

3. अपने दरमान की संशोधन के लिए मुबंई पत्तन न्यास द्‌वारा अक्टूबर, 2009 में दाखिल प्रस्ताव को प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और इसे परामर्श के लिए रखा गया है। इस मामले में संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई 18 जनवरी, 2011 को हुई थी । संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत , दिनांक 11 नवंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से माँगी गई अतिरिक्त सूचना /स्पष्टीकरण को एमबीपीटी ने संशोधित प्रस्ताव के साथ 11 अप्रैल , 2011 को ही दाखिल किया है। मुबंई पत्तन न्यास द्‌वारा दाखिल संशोधित प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता संघ को टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है।

4. पत्तन द्‌वारा हाल ही में दाखिल संशोधित प्रस्ताव की संवीक्षा एवं उपयोगकर्ता से प्राप्त टिप्पणियाँ , यदि है तो आदि के साथ मामले की वैधानिक या कानूनी कार्यवाही में लगनेवाले अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए, यह प्राधिकरण मुबंई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता की समाप्त तिथि से 30 सितबंर, 2011 तक अथवा मुंबई पत्तन न्यास द्‌वारा दाखिल प्रस्ताव पर पारित होने वाले आदेश की कार्यान्वयन के प्रभावी तिथि, इसमे से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1अप्रैल,2009 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष